Q298

http://labour.mp.gov.in/Default.aspx

http://labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

(द) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996

(i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम,1996 के अन्तर्गत स्थापनाओं का पंजीयन

(इ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी क्रर्मकार अधिनियम, 1979

(i) अन्तर्राज्यिक प्रवासी क्रर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति

(फ) **मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961**

(i) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 स्थापना का पंजीयन

II. आवेदन शुल्क जमा करने की विधि

(i) साईबर ट्रेजरी के माध्यम से:- साईबर ट्रेजरी वेबसाईट पर जाये, ‘Other Departments’ बटन पर क्लिक करें एवं ‘Departments’ के अन्तर्गत ‘Labour’ का चयन करें। अन्य संबंधित जानकारी भरें! नेटबैंकिंग अथवा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से शुल्क जमा करें। ट्रेज़री वेबसाईट द्वारा जनित चालान को सेव कर उसका प्रिंट प्राप्त करें। अब, चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

(ii) बैंक चालान के माध्यम से:- किसी भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में शुल्क जमा करें तथा चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

III. स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)

(i) स्व-प्रमाणीकरण योजना (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना)

(ii) स्व-प्रमाणीकरण योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र

IV. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

(i) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जांच सूची

(ii) श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप

(iii) श्रम आयुक्त द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जारी किये गये नवीनतम दिशा निर्देश

(iv) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण संशोधन तथा संशोधन सहित नवीनीकरण के प्रकरणों के संबंध में स्थल निरिक्षण द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध मे निर्देश।श

(v) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गये नवीनतम दिशा-निर्देशश

(vi) कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण के प्रावधान।

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

व्यवस्था कन्टीन एवं झूला घर संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करवाया जाना ।

(vi) धारा 51 से 62 तक के प्रावधान जिसमें श्रमिको के कार्य के समय, भुगतान,ओवंर टाइम एवं इनसे संबंधित रिकार्ड से संबंधित प्रावधानो का सुनिश्चित किया जाना ।

(vii) धारा 79 इसमे श्रमिको के सवैतनिक अवकाश (वार्षिक छुट्टियां) एवं संबंधित रिकार्ड प्रावधानो का पालन करवाया जाना ।

(viii) धारा 88 से 89 तक के प्रावधान जिसमें दुघटनाओ,आग एवं विस्फोट एवं व्यसायिक अन्य बीमारियो से संबंधित सूचनाओं संबंधी पालन सुनिश्चित किया जाना ।

(13) **वेतन भुगतान अधिनियम 1936 :–**

जिन श्रमिको का मासिक वेतन 18,000/– प्रतिमाह तक है के संबंध में अधिनियम कि धारा 5 एवं 9 के अनुसार श्रमिको को निर्धारित दिनांक तक बगैर अवैधानिक कटोत्रे के वेतन भुगतान करवाया जाना एवं उससे संबंधित रिकार्ड एवं पत्रक रखे जाना सुनिश्चित करवाया जाना ।

वेतन भुगतान नही किये जाने पर धारा (14) 4 के तहत वैद्यानिक आदेश देना एवं धारा 15 के अतंर्गत दावा प्रकरण तैयार करना ।

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

(वेतन भुगतान अधिनियम 1936)

निरीक्षण दिनांक :–

1. कारखाने का नाम एवं पता–
2. कारखाना लायसेन्स क्रमांक–
3. कारखाने के नियोजकगण–
   1
   2
   3
4. स्थापित विद्युत पॉवर–
5. श्रमिक नियोजित–

उपरोक्त कारखाना परिसर का निरीक्षण दिनांक ––– को वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित पाये गये:–

1.
2
3
4
5

निरीक्षण विवरण/पंचनामा/रिपोर्ट/तैयार किया गया एवं निम्नलिखित उपस्थित व्यक्तियों के बयान लिये गये :–

1
2
3

1. निरीक्षण के समय जानकारी प्राप्त हुई कि नियोजकगणों द्वारा कारखाने में नियोजित (श्रमिकगणों) को माह––––––– से –––––तक का वेतन भुगतान निर्धारित दिनांक तक नहीं किया गया है /वेतन से अवैधानिक कटोत्रा किया गया है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में किया गया है। यह वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा–5/9 का उल्लघंन है।

2. निरीक्षण के समय नियोजकगणों /नियोजकगण प्रतिनिधि से श्रमिकों के वेतन भुगतान से संबधित रजिस्टर/रिकार्ड/प्रपत्र/वेतन पर्चियॉं/मांगे गये जो निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये तथा निरीक्षण के समय कारखाने के नियोजकगणों एवं नियोजनों से संबधित रिकार्ड/प्रपत्र/जानकारी निम्नानुसार मांगे गये जो प्रस्तुत नहीं किये गये:–

1
2

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391